उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या- /2018/3739/92-1-2018-122आर0ई0एस0/2004टी0सी0

लखनऊ: दिनांक : 01 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शैलेष अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता को मुहर बन्द लिफाफा के सापेक्ष, काम चलाऊ प्रबन्ध, आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, मुख्य अभियन्ता स्तर-2, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग (वेतन बैण्ड-वेतनमान-37400- 67,000, ग्रेड पे-8900) (पुनरीक्षण वेतन मैटिक्स लेवल-13क) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान की जाती है ।

2- श्री अग्रवाल को अनुमन्य वेतन/मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3- उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-31120/2016-राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाली अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।

4- मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण के क्रम में श्री अनिल कुमार गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता की मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पद पर पदोन्नति होने की दशा में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पद से श्री शैलेष अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर स्वत: पदावनत माने जायेंगे।

5- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पद पर नियमित पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अग्रवाल कार्यायल निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

5- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पद पर तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

मो0 इफतेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2018/3739(1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- श्री शैलेष अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग ।

6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

8- कम्प्यूटर अंकन प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अवध नारायण

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in